पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 63/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए

विद्यादेवी पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
– वादी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
2. संतोष पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
3. सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
4. राजेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
5. रामेश्वरी पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
6. कलावती पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
7. प्रहलाद पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
8. विनोदकुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
9. विमलादेवी पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
10 साहबराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
11 दयाराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
12. बलराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
12/1 नारायणीदेवी
12/2 सुनीलकुमार
13. रोहिताश पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
13/1 सुमन देवी
13/2 भरत
13/3 पल्लवी
14. जवारीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नई धान मण्डी संगरिया जरिए मैनेजर
16. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री औमप्रकाश शर्मा वकील वादी
2– श्री सुभाष सैन – वकील प्रति सं. 1 ता 11, 12/1 ता 12/1, 13/1 ता 13/3
3– श्री जेके बाथम वकील प्रति सं. 14
4– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 16

निणय दिनाक :– 19.6.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 मृतक पूर्वज रामचन्द्र वल्द जीसुखराम के वारिसान है। वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 14 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 4 आर.टी.पी. खाता सं. 255/208 में प.नं. 179/190 मु.नं. 42 कि.नं. 5/1/0.156, 6/0.253 योग खाता 0.409 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में है। नकल जमाबंदी [illegible] में वर्णित भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 13 की विरासतन जद्दी जायदाद है। उक्त [illegible] प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपने अपने हिस्सा की कुल भूमि [illegible] के पक्ष में छोड़ दी है जिसे वादीया घोषित करवा अपने नाम दर्ज कराने की मुश्तहक एवं दावेदार है। [illegible] 2 में वर्णित कुल भूमि का घरू विभाजन हो चुका है। मुताबिक घरू विभाजन वादीया के हिस्सा में 0.202है. [illegible] तथा प्रतिवादीगण सं. 11 से 13 के हिस्सा में बहिब कुल 0.051हि. भूमि प्राप्त हुई है उक्त भूमि वादीया सांझा खाता में नहीं रखना चाहती तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता विभाजन कराने की वादीया मुश्तहक एवं दावेदार है। वादीगया एवं प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:– क– वादीगया विद्यादेवी पत्नी कृष्णकुमार का 0.202है. व प्रतिवादी सं. 11 से 13 का बहिब कुल 0.051हि. अनुसार कब्जा काश्त की भूमि का

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:45 IST
Reason: SelfAttested

चक नं. 4 आर.टी.पी. खाता सं. 255/208 ज.सं. 2072–2075
पु.नं. मु.नं. किला नं.
179/190 42 6/0.253, योग 0.253है. नहरी

ब– प्रतिवादी सं. 14 बनवारीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा की कब्जाकाश्त भूमि का विवरण–
चक नं. 4 आर.टी.पी. खाता सं. 255/208 ज.सं. 2072–75
पु.नं. मु.नं. किला नं.
179/190 42 5/1/0.156 योग 0.156है. नहरी

प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आज भी प्रतिवादी सं. 1 से 10 के नाम दर्ज होने वादीया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादीया अपने हक व कब्जाकाश्त की उक्त भूमि पर किसान केडिट कार्ड व लिमिट आदि बनाने में असमर्थ है। अतः मुताबिक घरू विभाजन वादीया उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 का नाम कलमजन करवा भूमि अपने नाम कराने की अधिकारी एवं दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से 10 को पिछले सप्ताह कहा कि वे वादीया को मुताबिक घरू विभाजन वादीया को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया के नाम दर्ज करा देंवे तो प्रतिवादीगण पहले तो आज कल आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह कतई तौर पर इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है। दावा बाबत इस्तकरार हक एवं तकसीम खाता का है जो 4/– रू के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में व अन्दर मियाद है। प्रतिवादी सं. 15 ऋण दावा बैंक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 16 भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिनके खिलाफ कोई विपक्ष अनुतोष नहीं है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि वादीया मुताबिक घरू विभाजन तहसील संगरिया के चक नं. 4 आर.टी.पी. खाता सं. 255/208 में कुल 0.202है. भूमि की खातेदारी काश्तकार है, इसी अनुसार उक्त भूमि वादीया के नाम दर्ज कर प्रतिवादी सं. 1 से 10 का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जावे। दावा की पहरा सं. 4 में वर्णित कब्जाकाश्त अनुसार वादीगया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 14 का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम करने के आदेश दिए जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 12/1 ता 12/2, 13/1 ता 13/3 जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सख्या 14 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसका वादीया ने कोई विरोध नहीं किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया विद्यादेवी की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 14 बन्द किया गया।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादीया एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादीया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण सह–काश्तकार है। वादीया एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारा में मिली भूमि के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 4 व प्रतिदावा की चरण सख्या 8 के अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 12/1 ता 12/2, 13/1 ता 13/3 ने सहमति का जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है एवं वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 14 का काउन्टर क्लेम मुताबिक अनुतोश डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 14 के अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिकी करने पर अपनी सहमति दौराने बहस दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

[illegible] किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी [illegible] आरटीपी खाता सख्या 255/208 ज.स. 2072-2075 मे वादीया एव प्रतिवादीगण के नाम से साझा खाता [illegible] आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीया एव प्रतिवादीगण घरू बटवारे के [illegible] काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 11, 12/1 ता 12/2, 13/1 ता 13/3 ने वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया है एव प्रतिवादी सख्या 14 ने वादीया के वाद पत्र को [illegible] करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र व प्रतिदावा का कोई विरोध न्यायालय के समक्ष पेश नही हुआ है इसलिए वादीया का वाद पत्र एव प्रतिवादी सख्या 14 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अत [illegible] विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र एव प्रतिवादी सख्या 14 का काउन्टर क्लेम स्वीकार [illegible] निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 4 आरटीपी खाता सख्या 255/208 सम्वत 2072-2075 मे [illegible] पत्नी कृष्ण कुमार का 0.202 है व प्रतिवादी सख्या 11 का 0.017 है 12/1 ता 12/2 का 0.017 है एव प्रतिवादी सख्या 13/1 ता 13/3 का 0.017 है के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

पु.न.	मु.न.	किला नम्बर
179/190	42	6/0.253 है. नहरी
चक 4 आरटीपी खाता सख्या 255/208 ज.स. 2072-75 मे बनवारी लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-		
179/190	42	5/1/0.0156

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज ✗ मुद्दिलक ✗ बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय सूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करे।

[illegible] आज दिनांक 19.6.2024 को खुले न्यायालय मे जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 63/2023

विद्यादेवी पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीया

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
2. संतोष पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
3. सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
4. राजेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
5. रामेश्वरी पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
6. कलावती पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
7. प्रहलाद पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
8. विनोदकुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
9. विमलादेवी पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
10. साहबराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
11. दयाराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
12. बलराम पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया

12/1 नारायणीदेवी

12/2 सुशीलकुमार

13. रोहिताश पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया

13/1 सुमन देवी

13/2 भरत

13/3 पल्लवी

14. बनवारीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नई धान मण्डी संगरिया जरिए मैनेजर
16. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री सुभाष सैन वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 12/1, 12/2, 13/1 ता 13/3 एव जितेन्द्र कुमार बाथम वकील प्रतिवादी संख्या 14 मिन जानिब मुखालफा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है. चक 4 आरटीपी खाता संख्या 255/208 सम्वत 2072–2075 में वादीया विद्यादेवी पत्नी कृष्ण कुमार का 0202 है. व प्रतिवादी संख्या 11 का 0.017 है. 12/1 ता 12/2 का 0.017 है. एवं प्रतिवादी संख्या 13/1 ता 13/3 का 0.017 है. के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
179/190	42	6/0.253 है. नहरी
चक 4 आरटीपी खाता संख्या 255/208 ज.स. 2072–75 में बनवारी लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी रतनपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–		
179/190	42	5/1/0.0156

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग [illegible] एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना [illegible] करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो कृषि काश्तकार के अलावा [illegible] दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.6.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:45 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया